Dy. Director of Elementary Education
13 FEB 2025
Dispach No. 1399
Kangra at Dharamshala

Through Website/Mail

No:-EDN-KGR-(A-2)-Accounts -Audit-02/2025-
O/O the Dy. Director of Elementary Education,
Kangra at Dharamshala
Dated : Dharamshala-176215 13-02-2025

To

All the Block Elementary Education Officer,
Distt. Kangra(HP)

विषयः - दुर्विनियोजन,हानि एवं चोरी इत्यादि के मामले से संम्बन्धित।

Memo

This is with reference to the Director of Elementary Education, HP Shimla letter No:-शिक्षा-(एच)-(प्रा०)-(३)लेखा (एसी०एम०) /2023-24, dated:-10.02.2025 on the subject cited above.

In this context, you are hereby directed to submit the desired information from point No 4.15 to 4.17 as per letter attached herewith to the office of the undersigned within two days positively through special messenger, so that the same could be sent to the Director of Elementary Education, HP Shimla for favour of further necessary action in the matter.Any delay regarding this view seriously and whole responsibility will rest upon you.

Encls:-Page(01) to Page(05)

13/02/25

Dy.Director of Elementary Education
Kangra at Dharamshala

2021-22

अन्य मुद्दे

4.15 दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, इत्यादि

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 1971 (2009 में संशोधित) के नियम 24 के अनुसार किसी अधिकारी से जानबूझ कर अथवा अनजाने में हुई किसी चूक, कृत्य या उपेक्षा के कारण इन नियमों के नियम 21 में उल्लेखित कारणों से सरकार को हुई किसी हानि के लिए उसे व्यक्तिगत अथवा परोक्ष रूप से ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 1971 (2009 में संशोधित) के नियम 145(5) के अनुसार यदि सरकारी कर्मचारी की उपेक्षा, धोखाधड़ी अथवा शरारत के कारण माल ख़राब हो जाता है तो उसकी जवाबदारी तय की जाएगी।

विगत वर्ष अर्थात् मार्च 2021 की समाप्ति पर राज्य सरकार के पास ₹ 90.12 करोड़ राशि के दुर्विनियोजन/हानि, चोरी आदि के 42 मामले थे। वर्ष 2021-22 के दौरान इसमें से ₹ 37.80 करोड़ की राशि वाले 11 मामलों का निपटारा/समाशोधन किया गया। हालांकि, मार्च 2022 तक सरकारी धन से अंतर्ग्रस्त ₹ 52.32 लाख राशि के दुर्विनियोजन /हानि, चोरी आदि के अभी भी 31 मामले थे, जिन पर अंतिम कार्रवाई लंबित थी। इन सभी मामलों में संबंधित विभागों ने प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की थी। लंबित मामलों का विभाग-वार विवरण एवं इन मामलों में लंबित कार्रवाई के कारणों को **तालिका 4.11** में सारांशित किया गया है।

तालिका-4.11: लंबित मामलों का विभाग-वार विवरण एवं दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के मामलों में कार्रवाई लंबित होने के कारण

विभाग का नाम	सरकारी सामग्री के दुर्विनियोजन/हानि/चोरी के मामले		दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लंबित मामलों के अंतिम निपटान में विलम्ब के कारण	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)			
[illegible]	03	2.95	विभागीय एवं आपराधिक जांच हेतु प्रतीक्षित	19	15.84
[illegible]राजस्व	01	2.57	वसूली या बट्टे खाते में डालने के आदेश हेतु प्रतीक्षित	01	2.57
[illegible]	03	2.89			
[illegible]	01	0.08			
[illegible] निगम, चम्बा	01	0.42	न्यायालयों में लंबित	03	25.43
[illegible]	02	25.37			
[illegible] स्वास्थ्य (चिकित्सा)	01	0.95			
[illegible]	04	5.93	वसूली की गई/बट्टे खाते में डाले गए परन्तु लोक लेखा समिति के अंतिम निपटान हेतु प्रतीक्षित	07	8.06
[illegible] निर्माण	15	11.16			
			अन्य	01	0.42
[illegible]	31	52.32	योग	31	52.32

[illegible] विभाग द्वारा प्राप्त एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

विभाग का नाम	सरकारी सामग्री के दुर्विनियोजन/हानि/ चोरी के मामले		दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लंबित मामलों के अंतिम निपटान में विलम्ब के कारण	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)			
गृह रक्षक	02	25.37			
जन-स्वास्थ्य (चिकित्सा)	01	0.95			
वन	05	19.75	वसूली की गई/बट्टे खाते में डाले गए परन्तु लोक लेखा समिति के अंतिम निपटन हेतु प्रतीक्षित	09	29.00
लोक निर्माण	15	11.16			
जल शक्ति	05	8.91			
			अन्य	02	0.82
योग	**42**	**90.12**	**योग**	**42**	**90.12**

स्रोत: विभाग द्वारा सूचित एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना।

राज्य सरकार दुर्विनियोजन/हानि, चोरी आदि से सम्बंधित मामलों का त्वरित एवं समयबद्ध समायोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तंत्र खोजें।

लंबित मामलों की समयवार-रुपरेखा तथा प्रत्येक सरकारी सामग्रियों की चोरी तथा दुर्विनियोजन/हानि के श्रेणीवार लंबित मामलों की संख्या **तालिका-4.14** में सारांशित की गई है।

तालिका-4.14: दुर्विनियोजन, हानि, गबन आदि की रूपरेखा

(₹ लाख में)

लंबित मामलों की समयवार रुपरेखा			लंबित मामलों की प्रकृति		
वर्ष	मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि		मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि
0-5	2	0.82	चोरी के मामले	8	7.20
5-10	6	8.79			
10-15	4	5.63	सरकारी सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि	34	82.92
15-20	7	36.66			
20-25	9	16.66			
25 व अधिक	14	21.56			
योग	**42**	**90.12**	**कुल लंबित मामले**	**42**	**90.12**

हानि के कुल मामलों में से 80.95 प्रतिशत मामले सरकारी सामग्री के दुर्विनियोजन/हानि से सम्बंधित हैं तथा शेष 19.05 प्रतिशत चोरी के मामले हैं। दुर्विनियोजन/चोरी के कुल 42 मामलों में से 61.90 प्रतिशत (26 मामले) विभाग द्वारा अंतिम रूप देने/कार्रवाई करने में विलम्ब एवं आपराधिक जांच में विलम्ब के कारण लंबित थे। आगे यह पाया गया कि कुल 42 मामलों में से 40 मामले पांच वर्षों से अधिक पुराने थे जिनमें 23 वे मामले भी हैं जो 20 वर्षों से अधिक पुराने थे। इन मामलों को अंतिम रूप देने में विभागों के उदासीन दृष्टिकोण से न केवल राज्य

राज्य सरकार दुर्विनियोजन/हानि, चोरी आदि से सम्बंधित मामलों का त्वरित एवं समयबद्ध समायोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तंत्र खोजें।

लंबित मामलों की आयु-रुपरेखा तथा सरकारी सामग्रियों की प्रत्येक चोरी तथा दुर्विनियोजन/हानि की श्रेणी के लंबित मामलों की संख्या **तालिका-4.12** में सारांशित की गई है।

तालिका-4.12: दुर्विनियोजन, हानि, गबन आदि की रूपरेखा

(₹ लाख

लंबित मामलों की आयु-रुपरेखा			लंबित मामलों की प्रकृति		
वर्ष	**मामलों की संख्या**	**अंतर्ग्रस्त राशि**		**मामलों की संख्या**	**अंतर्ग्रस्त राशि**
0-5	1	0.40	चोरी के मामले	6	3.78
5-10	5	8.50			
10-15	2	0.71	सरकारी सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि	25	48.54
15-20	5	26.58			
20-25	7	8.71			
25 व अधिक	11	7.42			
योग	**31**	**52.32**	**कुल लंबित मामले**	**31**	**52.32**

हानि के कुल मामलों में से 80.65 *प्रतिशत* मामले सरकारी सामग्री के दुर्विनियोजन/हानि से सम्बंधित हैं तथा शेष 19.35 *प्रतिशत* चोरी के मामले हैं। दुर्विनियोजन/चोरी के कुल 31 मामलों में से 61.29 *प्रतिशत* (19 मामले) विभाग द्वारा अंतिम रूप देने/कार्रवाई करने में विलम्ब या आपराधिक जांच में विलम्ब के कारण लंबित थे। आगे यह पाया गया कि 30 मामले (31 में से) पांच वर्ष से अधिक पुराने थे, जिनमें 18 वे मामले भी हैं, जो 20 वर्षों से अधिक पुराने थे।

इन मामलों को अंतिम रूप देने में विभागों के उदासीन दृष्टीकोण से न केवल राज्य के राजकोष को हानि हुई अपितु गलती करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय नहीं हुई। सरकार चोरी, दुर्विनियोजन, हानि इत्यादि से संबंधित उपरोक्त मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने हेतु एक समयबद्ध ढांचा तैयार करने पर विचार करें, ताकि जवाबदेही तय की जा सके।

4.16 राज्य के वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

वर्ष 2008-09 से राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार कर राज्य विधायिका में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 2018-19 तक के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई कार्रवाई से सम्बंधित टिप्पणी (एक्शन टेकन नोट्स)/स्वतः उत्तर प्रस्तुत किए हैं। विधायिका की लोक लेखा समिति ने राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर इस तिथि तक चर्चा नहीं की थी।

में लेखापरीक्षा किए जाने वाले निकायों/प्राधिकरणों की पहचान नहीं हो सकी, साथ ही राज्य की समेकित निधि से दिए गए अनुदानों एवं ऋणों से किए गए व्यय की शुद्धता, नियमितता/औचित्य की जांच भी लेखापरीक्षा में नहीं की जा सकी।

4.16 लेखाओं की समयबद्धता एवं गुणवत्ता

2020-21 के दौरान प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को मासिक लेखे प्रस्तुत करने वाले समस्त इकाइयों (कोषागार, लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई व जन-स्वास्थ्य विभाग तथा वेतन व लेखा कार्यालय, नई दिल्ली) ने उनके लेखे समय पर प्रस्तुत किए तथा छोड़ दिए जाने का कोई मामला नहीं देखा गया।

अन्य मुद्दे

4.17 दुर्विनियोजन, हानि, चोरी इत्यादि

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 1971 (2009 में संशोधित) के नियम 24 के अनुसार किसी अधिकारी से जानबूझ कर अथवा अनजाने में हुई किसी चूक, कृत्य या उपेक्षा के कारण इन नियमों के नियम 21 में उल्लेखित कारणों से सरकार को हुई किसी हानि के लिए उसे व्यक्तिगत अथवा परोक्ष रूप से ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 1971 (2009 में संशोधित) के नियम 145(5) के अनुसार यदि सरकारी कर्मचारी की उपेक्षा, धोखाधड़ी अथवा शरारत के कारण माल ख़राब हो जाता है तो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी।

मार्च 2020 तक ₹ 90.12 लाख की सरकारी धनराशि से अंतर्ग्रस्त दुर्विनियोजन/हानि, चोरी इत्यादि के 42 मामलों की राज्य सरकार ने सूचना दी, जिन पर अंतिम कार्रवाई शेष थी। लंबित मामलों का विभाग-वार विवरण एवं लंबित होने का कारण **तालिका-4.13** में सारांशित किया गया है।

तालिका-4.13: लंबित मामलों का विभाग-वार विवरण एवं दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के मामलों में कार्रवाई लंबित होने के कारण

विभाग का नाम	सरकारी सामग्री के दुर्विनियोजन/हानि/ चोरी के मामले		दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लंबित मामलों के अंतिम निपटान में विलम्ब के कारण	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)			
शिक्षा	04	3.88	विभागीय एवं आपराधिक जांच हेतु प्रतीक्षित	26	31.37
ग्रामीण विकास	02	4.68			
कृषि	02	9.46			
भू-राजस्व	01	2.57	वसूली या बट्टे खाते में डालने के आदेश हेतु प्रतीक्षित	01	2.57
बागवानी	03	2.89			
पुलिस	01	0.08			
नगर निगम, चन्द	01	0.42	न्यायालयों में लंबित	04	26.36

के राजकोष को हानि हुई अपितु गलती करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की जवाबदेही तय नहीं हुई।

चालू वर्ष (2020-21) के दौरान स्थिति यथावत् रही क्योंकि राज्य सरकार द्वारा कोई मानक सूचित/समायोजित नहीं किया गया था।

इन मामलों को अंतिम रूप देने में विभागीय कार्रवाई में कमी का अर्थ है कि गलती करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की जवाबदेही तय नहीं की गई तथा यदि कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई तो उसका पता नहीं लगाया जा सका। सरकार चोरी, दुर्विनियोजन आदि के मामलों में त्वरित कार्रवाई करने हेतु समयबद्ध ढांचा निर्मित करें।

4.18 राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

वर्ष 2008-09 से राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार कर राज्य विधायिका में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 2017-18 तक के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई से सम्बंधित टिप्पणी/स्वतः उत्तर प्रस्तुत कर दिए हैं। राज्य विधायिका की लोक लेखा समिति ने राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अभी तक चर्चा नहीं की।

4.19 निष्कर्ष

- उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करना, अनुदेयी को विभाग द्वारा जारी अनुदानों के संदर्भ में निगरानी के अभाव की परिचायक थी एवं इससे विभिन्न कार्यों/योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु जारी निधियों की अप्रयुक्ति, दुरूपयोग अथवा व्यपवर्तन का जोखिम उत्पन्न हुआ।
- स्वायत्त निकायों द्वारा लेखे प्रस्तुत न करने एवं अनुदानों व ऋणों के माध्यम से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकायों/प्राधिकरणों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध न करने से ऐसे स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों में वित्तीय अनियमितताओं का पता न चल पाने का जोखिम उत्पन्न हुआ।
- अग्रिमों की पहचान/विशिष्टता जानने के किसी तंत्र के बिना आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा सामान्य व्यय बिल फॉर्म (HPTR-5) का प्रयोग करते हुए अग्रिमों के आहरण एवं तत्पश्चात निगरानी के अभाव से दुर्विनियोजन/दुरूपयोग का जोखिम उत्पन्न हुआ।
- सरकारी सामग्री के दुर्विनियोजन/हानि, चोरी के मामले पाए गए जिनके सम्बन्ध में विभागीय कार्रवाई लंबित थी।
- विभिन्न मुख्य शीर्षों के तहत लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' एवं '800-अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत व्यय व प्राप्तियों की उल्लेखनीय राशि बुक की गई जिसने वित्तीय रिपोर्टिंग